6

संख्या 1834/XI/12/ 56(21)/2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग।   देहरादून, दिनांकः 10 सितम्बर, 2012

विषयः समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के सहयोग से 'उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' के नाम से एक परियोजना वर्ष 2004 मे उत्तराखण्ड के 5 जनपदो अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी व उत्तरकाशी के 17 विकासखण्डों मे प्रारम्भ की गयी। परियोजना की कुल लागत रू0 239 करोड है। उक्त परियोजना आठ वर्षो के लिये है, जिसके कियान्वयन का कार्य माह दिसम्बर 2012 मे समाप्त हो रहा है। परियोजना का कियान्वयन उत्तराखण्ड के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित 'उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति' व 'उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी' द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य परियोजना क्षेत्र के कमजोर वर्गो हेतु बेहतर आजीविका अवसरो को प्रोत्साहित करते हुये उनकी आजीविका सुधार मे निरन्तरता लाना और आजीविका विकास से संबंधित संगठनो को सुदृढ करना है। परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के लगभग 42,690 परिवारो को आजीविका संवर्द्धन के कार्य से आच्छादित किया गया है। परियोजना मे 3559 स्वयं सहायता समूहो तथा 71 फैडरेशन का गठन किया गया है, जिनको परियोजनां अन्तर्गत कॉयलर मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, डेयरी, पर्यटन, औषधीय एवं सुगन्धित पौधो, जैविक कृषि व अन्य गैर कृषि गतिविधियो से जोडकर, उन्हे तकनीकी सहायता प्रदान करते हुये आजीविका संवर्द्धन का कार्य किया जा रहा है व उत्पादन के Backward व Forward linkage की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। व्यवसायिक गतिविधियो के लिये वित्तीय सहायता हेतु परियोजना लाभार्थियो को बैंको के माध्यम ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है

इस योजना के प्रथम चरण की उपलब्धियों को देखते हुये अब 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project –ILSP)' के नाम से इस योजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमशः 2 पर.....

2. समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project – ILSP)' का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(क) परियोजना का परिचय एवं क्षेत्रः उक्त परियोजना उत्तराखण्ड मे वर्ष 2012 से सात वर्ष (2012–13–2018–19) की अवधि के लिए संचालित की जायेगी। परियोजना का कियान्वयन उत्तराखण्ड के 10 जनपदो के 30 विकासखण्डो मे किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है–

जनपद	विकासखण्ड
अल्मोडा	स्यालदेह, सल्ट, भिकियासेण, चौखुटिया, हवालबाग
बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड
चमोली	घाट, देवाल, नारायणबगड, थराली, दशोली
टिहरी	चम्बा, भिलंगना, जौनपुर
उत्तरकाशी	नौगांव, मोरी, भटवाडी
रूद्रप्रयाग	जखोली, अगस्तमुनि
पौडी	पाबो, ऐकेश्वर
चम्पावत	पाटी, चम्पावत, बाराकोट
पिथौरागढ	कनालीछिना, पिथौरागढ, मुंनाकोट
नैनीताल	बेतालघाट, रामगढ

(ख) उद्देश्यः

परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र के 143400 परिवारों को निरन्तर आजीविका के अवसर प्रदान करते हुये गरीबी के स्तर को कम करना है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति ग्रामीण परिवारो को चिरन्तर आजीविका अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम बनाते हुये उन्हे वृहद् बाजार अर्थव्यवस्था से जोडकर की जायेगी।

कमशः 3 पर....

(ग) परियोजना की लागत व हितभागियो का अंशदान:

परियोजना हेतु कुल लागत निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

(धनराशि हजार में)

Amount	Govt.	IFAD	Beneficiaries	Bank	Total
Total USD,000	51,022	90,086	8,372	21,075	1,70,555
Total Amount (Rs. 000)	23,72,822	41,89,533	3,89,370	9,80,000	79,31,725

(सात सौ त्रिरान्नबे करोड़ सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र)

(घ) परियोजना के मुख्य घटक, प्रावधानित बजट एवं कार्यदायी संस्थाएं:

परियोजना के प्रमुख घटक, घटकवार प्रावधानित बजट एवं कार्यदायी संस्थाओ निम्नलिखित होगी:–

घटक	घटक का विवरण	प्रावधानित बजट		कार्यदायी संस्थाए
		(रूपये करोड में)	%	
1	खादय सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि (Food Security & Livelihood Enhancement)	190.05	23.96	ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित 'उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति' (UGVS)
2	सहभागी जलागम विकास. (Participatory Watershed Development)	469.37	59.18	जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तावित 'उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई'
3	आजीविका वित्तपोषण (Livelihood Finance)	119.28	15.04	ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित 'उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी' (UPASaC)
4	परियोजना प्रबन्धन (Project Management)	14.47	1.82	ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित 'केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई' (CPCU)
	कुल योग	793.17	100	

कमशः 4पर......

(च) परियोजना कियान्वयनं हेतु प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचा:

परियोजना के सुगम संचालन, परियोजना समीक्षा, समन्वयन, मूल्यांकन एवं नीतिगत निणर्यो हेतु राज्य स्तर पर प्रशासनिक ढ़ांचा निम्नवत है:–

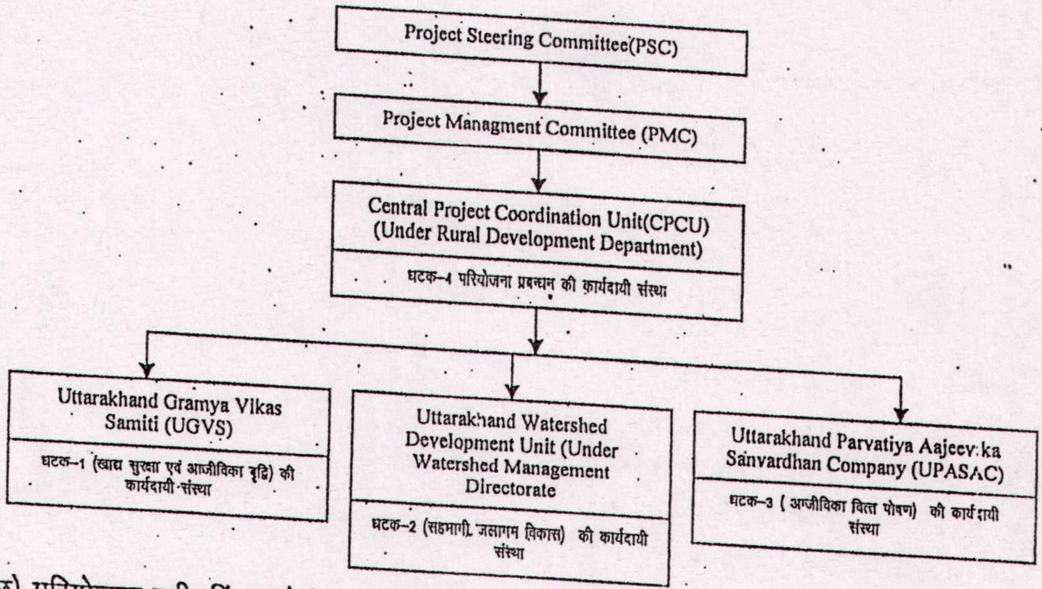

(छ) परियोजना स्टीयरिंग कमेटी:

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाती है:–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	
2.	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	सचिव
4.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
5.	सचिव, जलागम	सदस्य
6.	सचिव, कृषि	सदस्य
7.	सचिव, पशुपालन	सदस्य
8.	सचिव, उद्यान	सदस्य
9.	सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य
10.	सचिव, वन	सदस्य
11.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
12.	मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय	सदस्य
13.	मुख्य परियोजना निदेशक–केन्द्रीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना	सदस्य सदस्य
14.	परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति	
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उपासक	सदस्य
		सदस्य

क्रमशः 5 पर...

2 1/5

16.	परियोजना निदेशक– जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत आई०एल०एस०पी० हेतु गठित सोसायटी	सदस्य
17.	**विशेष आमंत्रित सदस्य–** (क) सम्बन्धित रेखीय विभागों के विभागाध्यक्ष (ख) मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड के प्रतिनिधि (ङ) उत्तराखण्ड बैम्बू एवं फाइबर विकास बोर्ड के प्रतिनिधि (च) उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद के प्रतिनिधि (छ) राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के कन्वेनर बैंक (ज) परियोजना का सहभांगी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	

उक्त राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा परियोजना के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना की प्रगति समीक्षा, समग्र मार्गदर्शन, नीतिगत सहयोग, अर्न्तविभागीय समन्वय, वार्षिक कार्ययोजना व बजट का अनुमोदन किया जाएगा।

(ज) **परियोजना की मानिटरिंग एवं विपणन:–** विभागीय मंत्री जी के स्तर पर भी उक्त परियोजना की मानिटरिंग की जाएगी तथा प्रश्नगत परियोजना के सफल संचालन हेतु विपणन की सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी। इस सम्बन्ध में पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या: 834 / XI / 1256(21) / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त परियोजना निदेशक / जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी।
8. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।